



2026:AHC:162393

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 27044 / 2026

अंबिखा हरिजन

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अभिनव सिंह, अजीत दीक्षित

विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. यद्यपि जमानत आवेदन के साथ संबंधित न्यायालय द्वारा पारित जमानत अस्वीकृति आदेश की निःशुल्क प्रतिलिपि संलग्न नहीं की गई है, किन्तु आवेदक के अनुसार जमानत अस्वीकृति आदेश कहीं खो गया है। चूंकि जमानत अस्वीकृति आदेश वर्ष 2024 का है, इसलिए आवेदक द्वारा बताए गए कारण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, अतः इस जमानत आवेदन पर गुण दोष के आधार पर सुनवाई की जा रही है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अजीत दीक्षित और राज्य के विद्वान ब्रीफ होल्डर श्री मनोज कुमार सिंह को सुना।

3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 470/2022 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 307, 34 आई.पी.सी., पुलिस स्टेशन - रॉबर्टसगंज, जिला - सोनभद्र में विचारण लंबित के दौरान जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले की एफआईआर आवेदक और पांच अन्य लोगों के विरुद्ध 02.07.2022 को दर्ज की गई थी और यह दर्शाती है कि सामान्य आरोप के आधार पर आवेदक को वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है।
5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि एफआईआर में आवेदक के साथ नामित सभी सह-अभियुक्तों को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है और उनके जमानत आदेश वर्तमान जमानत आवेदन के साथ संलग्न किए गए हैं और आवेदक का मामला उनके समान है।
6. उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 02.07.2022 अर्थात् पिछले चार वर्ष से अधिक समय से जेल/कारागार में है।
7. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तथ्यात्मक तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
8. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और मामले के अभिलेखों का परिशीलन किया।
9. हालांकि, आरोप के अनुसार, आवेदक ने अन्य लोगों के साथ मिलकर हमला किया जिसके कारण मृतक की मृत्यु हो गई, किन्तु आवेदक सहित सभी अभियुक्तों को मात्र सामान्य भूमिका सौंपी गई है और इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा अन्य सभी सह-अभियुक्तों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है और आवेदक का मामला उनके समान है।
10. इसके अतिरिक्त, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है और वर्तमान मामले में वह 02.07.2022 अर्थात् पिछले चार वर्ष से अधिक समय से जेल/कारागार में है।
11. अतः, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का पात्र है।
12. तदनुसार, मामले के गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. उपर्युक्त मामले में संलिप्त आवेदक - **अंबिका हरिजन** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये :-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे कि वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

14. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

15. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोषों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अगस्त 4, 2026

शाहरोज

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।